International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

इकीसवीं सदी बिहार के क्षेत्रीय दलों की राजनीति में महिलाओं की भूमिका (2000–2020) का एक **विश्लेषण**

नरेन्द्र भारती

पीएच.डी. रिसर्च स्कॉलर (यू.जी.सी. नेट), राजनीति विज्ञान विभाग, बी.आर. अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार, भारत

सारांश

महिलाओं का राजनीति में भागीदार होना 21वीं सदी में एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। आज के युग में किसी भी देश का समग्र विकास व प्रगति उस देश की महिलाओं की राजनीति में सक्रिय होने का महत्वपूर्ण परिचायक होता है। प्राचीन भारतीय समाज विशेषकर भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन में महिलाओं ने अपनी सशक्त, महत्वपूर्ण, उपयोगी और व्यापक भूमिका का निर्वाह कर अपना महत्वपूर्ण योगदान स्थापित कर दिया था। देश के स्वतंत्र होते ही तत्कालीन नीति–नियंताओं ने महिलाओं के चतुर्दिक एवं व्यापक सशक्तिकरण का महत्व समझ लिया था। जिसके फलस्वरूप राष्ट्र के संचालन में महिलाओं का स्थान सशक्त रूप से निरूपित किया गया। भारत में महिलाओं की राजनीतिक क्रियाशीलता को जानने के लिए यदि हम प्राचीन काल का अध्ययन करें तो भारत में पूर्व वैदिक काल में मातृ–सत्तात्मक परिवार थे, परन्तु धीरे–धीरे मध्यकाल तथा आधुनिक काल में भारत में महिलाओं की स्थिति बिगड़ती गयी। भारत के स्वाधीनता आन्दोलन में महात्मा गांधी के विशेष प्रेरणा व प्रोत्साहन से महिलायें देश की राजनीति में आगे आई।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्त्तव्य, नीति निर्देशक तत्व में लैंगिक समानता के सिद्धान्त को सुरक्षित रखा गया है। संविधान महिलाओं को केवल समानता का अधिकार ही नहीं देता बल्कि वह राज्यों की महिलाओं को उनके राजनीति सहभागिता एवं सशक्तिकरण हेतु नीति–निर्णय की इजाजत भी देता है। इसी आधार पर बिहार राज्य देश का पहला राज्य बना जिसने पंचायती राज संस्थानों एवं स्थानीय निकाय के चुनावों में महिलाओं को पचास प्रतिशत (50%) आरक्षण की व्यवस्था कर उन्हें समाज, राज्य व देश की मुख्यधारा से जोड़कर राष्ट्रीय विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का सुअवसर प्रदान

किया। राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति समय, काल व परिस्थिति के अनुसार बदली है। वर्त्तमान परिदृश्य में महिलाओं को राजनीति में वो स्थान नहीं दिया जाता है जो उनके सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक है। चाहे वो विश्वविद्यालय स्तर पर हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में या फिर शहरी क्षेत्रों में हो, सभी क्षेत्रों में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व ही देखने को मिलता है। आज हमने 21वीं सदी में प्रवेश तो कर लिया है, हमारी सोच महिलाओं के प्रति बहुत हद तक बदली है, परन्तु आज के इस युग में बहुत सुधार करने की जरूरत है। महिलाओं को परिवार एवं समाज से उतनी स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वह राजनीति के अलावे विभिन्न क्षेत्र में आगे बढ़ने से वंचित हो जाती है। जब भी महिलाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की बात उठती थी, तो अक्सर शीर्ष नेता महिलाओं को योग्य नहीं मानते व कहते थे कि उनमें क्षमता नहीं है, इसलिए राजनीति क्षेत्र को पुरूषों का क्षेत्र माना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में महिलाओं की भागीदारी दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस लेख में बिहार के लालू प्रसाद यादव एवं नीतीश सरकार के शासन काल (2000–2020) तक प्राप्त उपलब्धियों, शासन की नीतियों एवं सरकार द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का अध्ययन एवं विश्लेषण अभीष्ट है।

मूल शब्द : राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, नारी सशक्तिकरण, भागीदारी, राजनीतिक सक्रियता।

प्रस्तावना :–

सृष्टि एवं सृष्टि के विकास के लिए नर और नारी दोनों अनिवार्य तत्व हैं। एक दूसरे के अभाव में प्राणी मात्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। सभ्यता के आरंभ से ही महिलाओं की भूमिका घर समाज के स्थायीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं सुसंचालन में अधिक दिखाई देती है। किसी भी समाज का कोई भी वर्ग जब तक राजनीति रूप से जागरूक, सक्रिय, उत्तरदायी और भागीदार नहीं होता है तब तक उसका महत्व औरो के बराबर नहीं होता। राजनीति में समान मताधिकार के साथ ही महिलाओं का महत्व बढ़ने लगा था पर अशिक्षा एवं जागृति की कमी के कारण उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी। सामान्य रूप से स्त्रियों की राजनीतिक शक्ति या राजनीतिक समानता बहुतों के गले नहीं उतर रही थी। कुछ विकसित परिवारों को छोड़कर अन्य श्रेणी की महिलाएँ इसमें आगे नहीं आ पा रहीं थी। इसलिए सरकारों ने समय–समय पर महिलाओं को आगे लाने और उनका अधिकार दिलाकर उन्हें मुख्य धारा में लाने

के उद्देश्य को पूरा करने के लिए महिला आरक्षण का प्रावधान किया। यह प्रावधान महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण की दिशा में सबसे बड़ा सहायक साबित हुआ।

आजादी के प्रारंभिक वर्षों में राजनीति में सक्रिय बिहार की महिलाएँ अधिकांशतः उच्च शिक्षित, अभिजात्य वर्ग से संबंधित थी। वे किसी न किसी रूप में महात्मा गाँधी, विनोबा भावे एवं जयप्रकाश नारायण के आदर्शों से प्रभावित थी। आजादी के बाद केन्द्रीय मंत्री परिषद् का गठन हुआ। बिहार से दो महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला। एक जहाँआरा जयपाल सिंह एवं दूसरी तारकेश्वरी सिन्हा थीं। तारकेश्वरी सिन्हा को भारत की पहली महिला उप वित्तमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ। मीडिया द्वारा उन्हें 'बेबी ऑफ द हाउस', गलैमर गर्ल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के रूप में भी चर्चित किया गया। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर राजनीति में सक्रिय बिहार की महिलाओं में रामदुलारी सिन्हा, सुषमा सेन, सत्यभामा देवी, शकुंतला देवी, माधुरी सिंह, प्रभावती गुप्ता, राबड़ी देवी, उषा सिन्हा, मृदुला सिन्हा, किशोरी सिन्हा, मीरा कुमार, कांति सिंह, कृष्णा शाही, रमा देवी एवं अन्य महिलाओं ने अपने सूबे से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। वर्तमान समय में जिस देश की राजनीति में महिला की भूमिका जितनी सशक्त है उतना ही वह देश महिला सशक्तिकरण के मामले में आगे माना जाता है।

इस शोध पत्र का उद्देश्य महिलाओं का विभिन्न आयामों से यश–ज्ञान करना न होकर वर्तमान समय में राजनैतिक पटल पर महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण करना व इसकी कमियों को उजागर करना तथा सुझाव प्रस्तुत करना है। अतः हम विषय–वस्तु की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्य विषय को रेखांकित करेंगे।

सर्वप्रथम हम पूरे विश्व में महिलाओं की राजनैतिक स्थिति पर नजर डालें तो पायेगें कि अधिकतर देश की राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को उनका उंपर्युक्त स्थान व प्रतिनिधित्व देने में नाकाम रहे है। यदि विश्व के विभिन्न देशों की राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व की बात की जाये तो सबसे पहला स्थान अफ्रीकी देश रवाँडा का आता है, वहीं सबसे कम महिला प्रतिनिधित्व करने वाले देश की श्रेणी में वानूआतू का स्थान है। विश्व स्तर पर लगभग 26% सांसद महिलाएँ राजनीति प्रतिनिधित्व करती है।

अंतर–संसदीय संघ के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार कुछ प्रमुख देशों का सीटों के अनुपात में महिलाओं का राजनीति प्रतिनिधित्व का प्रतिशत।

तालिका–1

1.	रवाँडा		61.3%
2.	क्यूबा		53.4%
3.	निकारगुआ		50.6%
4.	मैक्सिको		50.0%
5.	यू.ए.ई.		50.0%
6.	न्यूजीलैंड		49.2%
7.	आईसलैण्ड		47.6%
8.	यू.एस.		27.7%
9.	भारत		15.03%

स्त्रोत : अंतर–संसदीय संघ (जनवरी–2022)

भारत में स्वतंत्रता से लेकर अब तक महिलाओं की राजनैतिक स्थिति पर एक दृष्टि डालें तो देश के राजनीतिक परिदृश्य में पहले से ही महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम रहा है, परन्तु वर्तमान समय में महिलाओं में राजनैतिक चेतना का विकास तेजी से हो रहा है।

वर्ष 1952 से 2019 के लोकसभा चुनावों में महिलाओं का कितना प्रतिशत योगदान रहा है, जिसका परिणाम आंकड़ों के द्वारा दर्शाया गया है।

तालिका–2

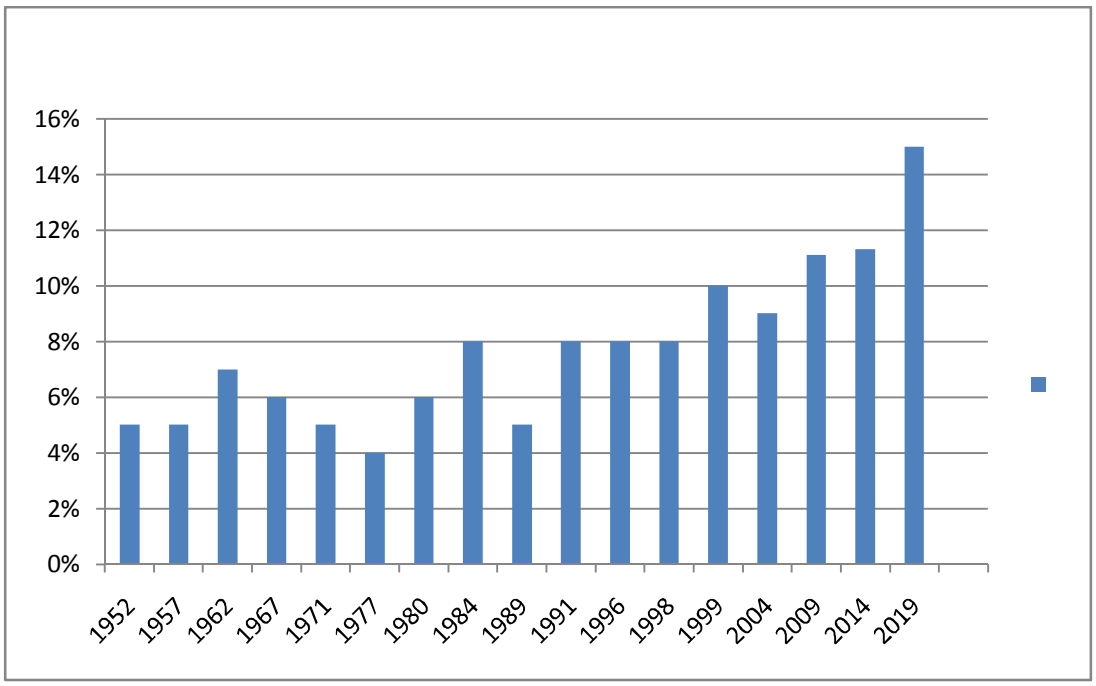

स्त्रोत : भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली

उपर्युक्त सारणी से पता चलता है कि 1991 तक लोक सभा चुनाव के दौरान महिलाओं की भागीदारी 8 प्रतिशत से कम रही है, वही 2014 में बढ़कर 11.3 प्रतिशत पहुँच गई है। महिलाओं ने राजनीति के निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक आने में अपनी पूरी सामर्थ्य दिखाया है। संविधान निर्माता समिति के सदस्य डॉ. बी.आर. अम्बेदकर का मानना है कि ''न्यायपूर्ण व्यवस्था न्यायपूर्ण विधान के बिना स्थापित नहीं हो सकती। इससे यह अभिप्राय है कि जब तक किसी समाज में न्याय का वितरण समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक समुचित और समान रूप से नहीं होगा तब तक एक न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना असम्भव है इसलिए हमें न्यायपूर्ण वितरण के लिये हमें एक न्यायपूर्ण विधान व्यवस्था को अपनाना पड़ेगा।

❖ बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी एवं भूमिका –

राज्य में पिछले कुछ वर्षो में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक

सशक्तिकरण हेतु दूरगामी प्रभाव वाले कदम उठाये गए हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप बिहार की इक्कीसवीं सदी में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में कई उपलब्धियाँ अर्जित की है। लेकिन उनके विकास की राह में अभी भी अनेक चुनौतियाँ हैं जिन्हें दूर किये जाने की आवश्यकता है। महिलाओं का सशक्तिकरण उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनैतिक भागीदारी जैसे मुद्दों से जुड़ा हैं। राज्य के सामाजिक धारणाओं में परिवर्तन कर महिलाओं को राजनैतिक केन्द्र में लाने तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक संबंधी संसाधनों तक महिलाओं को न्यायसंगत पहुँच सुनिश्चित करना ही राज्य की इक्कीसवीं सदी की राजनीति में महिला की भूमिका को दर्शाता है।

किसी राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। भारत का संविधान महिलाओं को न केवल समानता प्रदान करता है, बल्कि महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक उपायों को अपनाने में राज्यों को सशक्त भी करता है। हमारा राष्ट्र महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने संबंधी संयुक्त राष्ट्र के घोषणा–पत्र (सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू, 1979) पर सहमति देने वाले देशों में से एक है। अतएव बिहार में सरकार के सुशासन की कार्यसूची में महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी एवं सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए महिला सशक्तीकरण नीति का निर्माण किया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से बिहार राज्य सरकार द्वारा राज्य में महिलाओं की समग्र स्थिति में सुधार लाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गये हैं; जिससे शासन में इनकी भागीदारी बढ़ी है। पंचायती राज संस्थाओं एवं सहकारी समितियों में महिलाओं को 50% आरक्षण के फलस्वरूप इनके निर्णय की क्षमता, नेतृत्व एवं सामाजिक सहभागिता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पटना के रवीन्द्र भवन में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च 2017) के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में कई पहल हुए एवं निर्णय भी लिए गए हैं। बिहार पहला राज्य है, जहाँ महिलाओं को पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। वर्ष 2005 में जब सरकार बनी तो कुछ

महीने बाद ही पंचायतों का चुनाव होना था। एक बात मेरे मन में आई कि संविधान में कम से कम एक–तिहाई (1/3) की बात है, अधिक से अधिक नहीं। महिलाओं की आबादी लगभग आधी है तो हमलोगों ने 50 प्रतिशत आरक्षण दिया और बिहार पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना। वर्ष 2007 में नगर निकायों चुनाव में भी 50 प्रतिशत स्थान आधी आबादी के लिये सुरक्षित किया गया। पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण देने के बिहार के निर्णय का कई राज्यों ने अनुसरण किया और यह बिहार राज्य की पहल थी जिसका असर पूरे देश पर पड़ा। किसी राष्ट्र या राज्य में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण विकास का प्रमुख सूचक है। लैंगिक समानता को प्राप्त करने के लिए महिला सशक्तिकरण को समग्र परिवर्तन का अनिवार्य माध्यम बनाना होगा। साथ ही उन्हें उपलब्ध आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्वतंत्रताओं और विकल्पों का विस्तार कर उनकी 'स्थिति' में सुधार लाना होगा। देश में पिछले दशक में महिलाओं की साक्षरता दर में बिहार में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। सशक्तीकरण को तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब महिलाओं की स्थिति के साथ उनकी पद–प्रतिष्ठा में सुधार हो तथा उनकी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक स्वतंत्रता में विस्तार हो। बिहार की राजनीति में कुछ महत्वपूर्ण चेहरों का जिक्र करना यहाँ पर प्रासंगिक होगा, जिन्होंने राजनीति में महिलाओं की भूमिका को सशक्त किया है।

❖ मीरा कुमार – मीरा कुमार को भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है। 1973 ई० में भारतीय विदेश सेवा में प्रवेश लिया और स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और मॉरीशस में राजदूत के रूप में कार्य किया। कांग्रेस संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर रही है। 2004 ई० एवं पुनः 2009 ई० में बिहार के सासाराम निर्वाचन क्षेत्र से भारी मतों से विजयी हुई। विजयी होने के उपरांत वह 2004 में भारत सरकार के सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री पद पर आसीन हुई और फिर 2009 में प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री के पद पर नियुक्त हुई किन्तु लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

❖ राबड़ी देवी– राबड़ी देवी को बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव

प्राप्त है। राबड़ी देवी के राजनीतिक जीवन की शुरूआत 25 जुलाई, 1997 को लालू प्रसाद यादव, तत्कालीन मुख्यमंत्री, बिहार के त्याग पत्र देने के बाद शुरू हुई। इन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया और इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

- श्रेयसी सिंह – बिहार के जमुई विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की विधायक श्रेयसी सिंह अंतरराष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज भी है। श्रेयसी सिंह ने निशानेबाजी के साथ राजनीति में भी निशाना साधा है। साल 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में महिला डबल ट्रैप निशानेबाजी का स्वर्ण पदक जीतकर वे सुर्खियों में आई थी। भारत सरकार ने निशानेबाजी के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा है।
- मृदुला सिन्हा – मृदुला सिन्हा बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला की रहनेवाली थी। उनको एक सुविख्यात हिन्दी लेखिका के साथ–साथ भारतीय जनता पाटी की केन्द्रीय कार्यसमिति की सदस्य के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। इनको गोवा राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल होने का भी गौरव प्राप्त है। भारत सरकार द्वारा 2021 में इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है और भी कई नामचीन महिलाएँ है जो बिहार की राजनीति के अलावा देश की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया है।

तालिका–3

बिहार में 1952–2020 तक के विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

वर्ष	प्रतिशत
1951	3.6
1957	9.4
1962	7.9
1967	2.2
1969	3.8
1972	4.0
1977	3.7
1980	4.6
1985	2.8
1990	3.4
1995	4.3

2000	4.6
2005	4.8
2010	13.9
2015	11.5
2020	10.6

स्त्रोत : भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।

इन आंकड़ों के अध्ययन से पता चलता है कि बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी एवं रूझान काफी कम रहा है। सन् 2000 के बाद बिहार की राजनीति में काफी परिवर्तन देखा गया है। पंचायत स्तर के चुनाव में 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर सरकार ने महिलाओं की राजनीति भागदारी एवं सुदृढ़िकरण करने का प्रयास किया है। बिहार की राजनीति में महिलाओं की संख्या 2005 तक काफी कम देखने को मिला है, लेकिन जैसे–जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, वैसे–वैसे महिलाओं की राजनीति भागीदारी भी बढ़ रही है। 2010 से अब तक कुछ सुधार देखने को मिल रहा है।

महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयास :

भारत में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् 1959, हंसा मेहता समिति 1962, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आदि का गठन किया गया। भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधन द्वारा महिलाओं के लिये स्थानीय निकाय की एक–तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है लेकिन राजनीति में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अन्य प्रयास किये जाने की भी आवश्यकता है। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में महिलाओं ने यह महसूस किया कि उनका एक सामाजिक संगठन होना चाहिए, जो महिला जगत के उत्थान के लिये कार्य कर सके। बाद में यह अनुभव किया गया कि यह संगठन महिलाओं के द्वारा ही संचालित किया जाए। महिला समिति, वीमेन्स इण्डियन एसोसियेशन (1917) एवं 1920 में अखिल भारतीय महिला परिषद् की स्थापना बम्बई में की गई। इन महिला संगठनों के पीछे सुधारवादी आन्दोलनों की प्रेरणा समाहित थी, जिसने महिलाओं को घर से निकलने की प्रेरणा दी, उन्हें जागरूक बनाया। ए. आर. देसाई का विचार था कि, ''सामाजिक अस्तित्व की स्थिति में जो समाज सुधार आन्दोलन उद्भव हुए हैं, उनका एक लक्ष्य यह भी था कि भारतीय नारी जिन सामाजिक और न्यायिक विषमताओं एवं अनीतियों की शिकार है, उन्हें दूर किया

जाएँ।'' 108वाँ संविधान संशोधन बिल जो कि महिलाओं को लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीट आरक्षित करने के प्रावधान से जुड़ा हुआ है, लेकिन राज्यसभा में 9 मार्च 2010 को पास हो चुका है, परन्तु लोकसभा में अभी भी पारित नहीं किया गया है। बिहार की राजनीति में महिलाओं के लिए राजनीतिक अधिकार का असर 2005 के चुनावों के बाद देखा गया है। बिहार के 2015 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने तुलनात्मक रूप से अधिक बड़ी संख्या में मतदान किया। ऑकड़ों के अनुसार वर्ष 2010 के चुनाव में जहाँ महिला मतदाताओं की संख्या 54.5 प्रतिशत थी, 2015 के चुनाव में 59.9 प्रतिशत थी, वहीं 2020 के चुनाव में बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है। यहाँ तक कि 2010 के विधानसभा चुनावों में यह बात कही गयी कि महिलाओं की नीतीश कुमार की जीत में निर्णायक भूमिका थी। अपने पहले मुख्यमंत्रित्वकाल के दौरान (2005–2010) नीतीश कुमार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अत्यधिक और अथक प्रयास किये थे। इस उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए उन्होंने समस्त राज्य के ग्रामीण पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया। इसके अलावा नीतीश कुमार ने महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि के लिए अनेक उपाय किये, जैसे कि छात्राओं के बीच किताबों, यूनिफार्म और साइकिलों का वितरण करना और विद्यालय की परीक्षाओं में उपलब्धि हासिल करने पर नकद पुरस्कार देना। हालांकि, 21वीं सदी कि राजनीति में महिलाओं के मतदान करने की संख्या में वृद्धि हुई है।

निष्कर्ष : उपर्युक्त विश्लेषण से एक बात मुख्य रूप से निकलकर सामने आती है कि न सिर्फ भारत में बल्कि बिहार की राजनीति में महिलाओं की राजनैतिक स्थिति सुधारने के लिये सरकार के द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार में हुए वर्ष 2010 के चुनावों के बाद से महिलाओं की राजनैतिक स्थिति सुधारने के लिये कुछ अच्छे प्रयास किये गये हैं, परन्तु फिर भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आजादी के बाद से ही जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिलायें बढ़–चढ़कर भाग लेती रही है। इस बात को लेकर शायद ही कोई आशंका होगी कि सूबे में आम आदमी से लेकर महिलाओं की स्थिति अवश्य ही बेहतर हुई है। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं के मतदान करने की संख्या में वृद्धि हुई है।

ऑकड़े तो यह बयां करते हैं कि महागठबंधन के लिए मतदान करते समय पुरूषों और महिलाओं में कोई अंतर नहीं दिखता; क्योंकि दोनों का कुल मतदान 42

प्रतिशत ही था। यहां तक कि जब मतदाताओं से नीतीश कुमार के विकास कार्यों और प्रशासन की बेहतरी के आधार पर उनके सरकार को मूल्यांकित करने का प्रश्न पूछा गया, तो महिलाओं की तुलना में पुरूषों ने उनकी सरकार को अधिक बेहतर बताया। जब हम विभिन्न सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमियों की सभी महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक विचारों व दृष्टिकोणों पर नजर डालते हैं, तो यह पाते हैं कि इस कथित महागठबंधन को तुलनात्मक और व्यापक रूप से अपेक्षाकृत अधिक बढ़त प्राप्त हुई है। बिहार में हुए चुनावों के इतिहास में वस्तुतः यह पहली बार था (2015 के बिहार विधानसभा चुनाव), जब महिलाओं के इस बड़े अनुपात ने महागठबंधन अथवा ग्रैंड अलायन्स के लिए मतदान किया था। निश्चित रूप से चुनाव और उसमें होने वाले मतदान में जाति के साथ–साथ लिंग भी काफी मायने रखते हैं।

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते है कि बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अभी भी सीमित है। हमें वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए उन्हें शिक्षित एवं जागरूक करने की आवश्यकता है। महिलाओं की सोंच में परिवर्तन करना होगा। उन्हें हमारे लोकतंत्र में भागीदार बनाना होगा। आजकल महिलाएँ उच्च पदों पर कार्यरत है, इसी तरह उन्हें हमारे संविधान और लोकतंत्र के प्रति जागरूक करना होगा।

संदर्भ सूची :

- डॉ० प्रमोदानन्द दास एवं डा० रश्मि किरण, बिहार के विकास में महिलाओं की भूमिका, बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय, इम्प्रेशन पब्लिकेशन, पटना, 2012, पृष्ठ–85
- अरूण रश्मी, 'रोल ऑफ वोमन इन पंचायती राज', विकास प्रकाशन, बरेली, 2009, पृष्ठ–72
- अजय कुमार, 'रूरल वोमेन इन बिहार', जनक पब्लिकेशन पटना, 2005.
- बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति, 2015, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
- गुप्ता, भावना, (2010), भारतीय सामाजिक व्यवस्था, इशिका पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, पृष्ठ संख्या–208

- देसाई, ए. आर., भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, पृष्ठ–219
- बसु, आचार्य डॉ. दुर्गा दास, (2009), भारत का संविधान–एक परिचय, नौवां संस्करण लेक्सिस नेक्सिस बटरवर्थस वधवा, नागपुर
- www.eci.co.in
- www.gov.bin.nic.in